न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.11.2016	03.02.2023

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह चांगल पुत्र श्री मंगल सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी मु. पो. डाबरियानी तह. मेडता जिला नागौर प्रबंधक मैसर्स चौधरी चांगल जनरल स्टोर न्यू बस स्टैण्ड टोंक जिला टोंक
2–श्री हरिराम उर्फ हरिकिशन प्रोपरायटर मैसर्स चौधरी चांगल जनरल स्टोर न्यू बस स्टैण्ड टोंक जिला टोंक निवासी बडली रोड, बच्छा खाडा वार्ड नं. 23 नागौर राज.
3–मैसर्स चौधरी चांगल जनरल स्टोर न्यू बस स्टैण्ड टोंक जिला टोंक
4–श्री नवीन अग्रवाल निवासी 32, शिवपुरी कलवाड रोड, झोटवाडा जयपुर राज. पार्टनर मैसर्स श्री श्याम ऐक्वा इण्डस्ट्रीज 77, इण्स्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज.
5–श्री ललित कुमार गोयल निवासी 32, कृष्णा नगर इमलीवाडा फाटक जयपुर पार्टनर मैसर्स श्री श्याम ऐक्वा इण्डस्ट्रीज 77, इण्स्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज.
6–मैसर्स श्री श्याम ऐक्वा इण्डस्ट्रीज 77, इण्स्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री ललित कुमार गोयल।

दिनांक 03.02.2023

:–**निर्णय**–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.05.2016 को समय 01:30 पी.एम पर मैसर्स चौधरी चांगल जनरल स्टोर न्यू बस स्टैण्ड टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री जितेन्द्र सिंह चांगल पुत्र श्री मंगल सिंह राजपूत मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र सिंह चांगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रबंधक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह चांगल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** प्रत्येक 1 लीटर पैक के 60 कार्टून पैक्ड अवस्था में रखे हुए थे,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

जरो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री जितेन्द्र सिंह चांगल को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 972 एवं पैकिंग की दिनांक 03.05.2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर पैक की 16 बोतल मूल पैक खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** 1 लीटर पैक की 16 बोतल मूल पैक को चार–चार बोतल के चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमाक आई–1349 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1349 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री जितेन्द्र सिंह चांगल ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया तो आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री जितेन्द्र सिंह चांगल को वारन्टी बिल चाहने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके पश्चात् श्री जितेन्द्र सिंह चांगल ने मैसर्स श्री श्याम ऐक्वा इण्डस्ट्रीज 77, इण्स्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3093 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1521/एक्ट/2016/2504 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के श्री ललित कुमार गोयल स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (ऐक्वा सैफ ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0